न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 49 / 2011 (2011 / 00024)

वादीगण

1. खेताराम पुत्र श्री लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी औमपुरा (कुकनवाली) तहसील कुचामनसिटी।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहनलाल पुत्र लिखमाराम
2. चान्दमल पुत्र लिखमाराम
3. मदनलाल
4. मन्टीलाल
5. अशोककुमार पुत्रान नानूराम
6. रूकमा पत्नी नानूराम जाति कुम्हार निवासी औमपुरा
7. वनी पत्नी मेवाराम जाति जाट
8. मूली पत्नी भागुराम जाति जाट निवासी औमपुरा
9. मैनेजर जयपुर थार ग्रामिण बैंक शाखा कुकनवाली।
10. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

दावा:— इस्तकरार हक व भू—विभाजन बाबत 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।
श्री दूलाराम चौधरी व श्री श्यामसुन्दर चौधरी प्रतिवादी सं0 1 व 3 से 8
श्री बोदूराम प्रतिवादी सं0 5 व 8 की ओर से

निर्णय

दिनॉकः— 27/06/2018

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकुलाय उपस्थित, बहस सुनाते हुये कथन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है। निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री सादिर फरमाई जावें।

पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 23.01.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम (मौका रिपोर्ट) मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक भू.अ. / 296 दिनांक 04.06.2018 के द्वारा बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाई, शामिल मिसल है। वकुलाय उपस्थित, पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2018 एवं संलग्न मौका बंटवारा स्कीम का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक रिपोर्ट बंटवारा स्कीम निर्णय दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

23.01.2018 के अनुसार ही प्राप्त होने से वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाये जाने से निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम औमपुरा(कुकनवाली) तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 729 रकबा 2.32 है0 व खसरा नम्बर 738 रकबा 4.76 है0 एवं खसरा नम्बर 740 रकबा 4.68 है0 कुल रकबा 11.76 है0 में खसरा नम्बर 740 रकबा 1.32 है0 बारानी दो0 व 0.0852 है0 गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 729 में से 0.60 है0 बारानी दो0 व 0.04 है0 गैर मुमकीन रास्ता का वादी को एवं खसरा नम्बर 740 शेष बचा रकबा में से 1.40 है0 खसरा नम्बर 729 में से 0.56 है0 बारानी दो0 प्रतिवादी संख्या 2 को तथा खसरा नम्बर 738 रकबा 4.67 है0 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 729 शेष बचा रकबा 1.12 है0 बारानी दो0 प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को खसरा नम्बर 738 रकबा 0.09 है0 गैरमुमकिन रास्ता प्रतिवादी संख्या 7 को तथा खसरा नम्बर 740 की शेष बची जमीन 1.8748 है0 बारानी दो0 का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल किया जावें। बंटवारा स्टाम्प ड्युटी प्राप्त होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 27/06/2018 को टंकण कराकर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरत किया गया

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official